समाहरणालय नालन्दा बिहारशरीफ
(जिला योजना कार्यालय)
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय स०वि०स० श्री हरिनारायण सिंह 177 हरनौत विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अपने विधान सभा क्षेत्र में अवस्थित 30 मध्य विद्यालय, 20 उच्च विद्यालय एवं 03 महाविद्यालयों में पुस्तक क्रय हेतु अनुशंसा किया गया है। पुस्तक क्रय हेतु प्रकाशकों/वितरकों एवं प्राधिकृत विक्रेताओं से पुस्तक का नमूना के साथ तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग अलग मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित किया जाता है। पुस्तकों की सूची एवं निविदा की शर्तें जिला के वेबसाईट www.nalanda.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला योजना कार्यालय, नालन्दा में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग अलग मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक 16.11.2018 से दिनांक 19.11.2018 तक कार्यालय अवधि में अपराह्न 2:00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा। दिनांक 27.11.2018 को अपराह्न 3:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोला जायेगा। निविदा में निविदा दाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

21.10.18

जिला योजना पदाधिकारी
नालन्दा।

निविदा की शर्तें :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग–अलग मुहरबंद लिफाफों में होना चाहिए।
2. निविदा के साथ जिला योजना पदाधिकारी, नालन्दा के पदनाम से मो0 25,000/रुपये(पच्चीस हजार रुपये) मात्र का बैंक ड्रॉफ्ट सुरक्षित जमा राशि के रुप में संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता को GSTIN/PAN Number, विगत तीन वर्षों का वार्षिक आयकर रिटर्न एवं विगत तीन वर्षों का Audit Balance Sheet संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी पब्लिक द्वारा शपथ पत्र देना होगा।
5. क्रय की जाने वाली पुस्तकों की टाईटील पृष्ठ एवं मूल्य मे किसी प्रकार का परिवर्त्तन/संशोधन मान्य नहीं होगा।
6. बाल साहित्य के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें 60 पृष्ठ से कम रहने पर मान्य नहीं होगा।
7. बिहार की क्षेत्रीय भाषाओं एवं बिहार के प्रमुख रचनाकारों के पुस्तकों को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रत्येक पुस्तक अधिमानतः आई०एस०बी०एन० संख्या के साथ मान्यता दी जायेगी।
8. National Book Trust, NCERT प्रकाशन विभाग या अन्य सरकारी/अर्ध सरकारी प्राथमिकता दी जायेगी।
9. पुस्तकों क्रय छुट की न्यूनतम दरें योजना एवं विकास विभाग द्वारा निर्धारित है।

क्र0 सं0	प्रतियाँ	प्रतिशत
क.	1 से 10 प्रतियाँ पर	10 प्रतिशत
ख.	11 से 25 प्रतियाँ पर	15 प्रतिशत
ग.	26 से 100 प्रतियाँ पर	20 प्रतिशत
घ.	101 से 200 प्रतियाँ पर	25 प्रतिशत
ड.	201 से 500 प्रतियाँ पर	30 प्रतिशत
च.	500 से उपर प्रतियाँ पर	35 प्रतिशत

10. निविदादाता को विभागीय निर्धारित छूट के अतिरिक्त अधिक छूट देना चाहें तो स्पष्ट रुप से अंकित करना होगा कि कितनी छूट दे सकतें है।
11. चयनित निविदादाता द्वारा क्रय की जाने वाली पुस्तकों को संबंधित मध्य विद्यालय/उच्च विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्वयं उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा बिहारशरीफ जिला न्यायालय में होगा।
13. निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
14. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
15. नमूने के रुप में प्रस्तुत पुस्तकें रेल पार्सल से स्वीकार नहीं की जायेगी।

16. नमूने के रुप में प्रस्तुत पुस्तकों में निम्नांकित सूचनाएँ निश्चित रुप से अंकित की जाय –

- पुस्तक का नाम –
- लेखक का नाम एवं पूरा पता –
- प्रकाशक का नाम एवं पूरा पता –
- विषय –
- प्रकाशन वर्ष –
- पृष्ठ संख्या –
- साजिल्द/अजिल्द एवं मूल्य मुद्रित –

17. नमूने की एक–एक प्रति कार्यालय अवधि में विशेष वाहक तथा (रजिस्ट्रड पार्सल) द्वारा प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस दिनों के अन्दर प्राप्त की जाएगी। उक्त तिथि के बाद प्राप्त किसी पुस्तक पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार का व्यय वहन नहीं किया जाएगा।

31.10.18

जिला योजना पदाधिकारी
नालन्दा।